जी.वी.वी. शर्मा, भा.प्र.से
सदस्य सचिव
G.V.V. Sarma, IAS
Member Secretary

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
Government of India
Ministry of Home Affairs
National Disaster Management Authority

सं० 1–137/2018–प्रशमन **I** दिनांक : 28 मार्च, 2020

सेवा में सभी राज्य/यूटी राहत उपायुक्तों/एसडीएमए
महोदय,

1 सदस्य, एनडीएमए की अध्यक्षता में कोविड–19 महामारी से निपटने में एडीएमए/डीडीएमए की भूमिका के बारें में हुई वीडियों कॉफ्रेंसिग के फैसले पर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2 हमें ध्यान देना चाहिए कि, जबकि चिकित्सा और औषधीय मोचन गतिविधियां राज्य स्वास्थ्य विभागों द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों की तहत किया जाता है, स्थिति जागरूकता और संसाधन जागरूकता को एसडीएमए और डीडीएमए के द्वारा देखा जाना है, जैसे हम किसी भी अन्य आपदा स्थिति में करते हैं। मोचन गतिविधियों को इस जागरूकता के साथ सुनियोजित तरीके से मसन्वय करना होगा।

3 एसडीएमए/एसईओसी को निम्नलिखित उपायों को अपनाने और तत्काल क्रियान्वयन करने का सुझाव देता है :

(क) एसईओसी/डीईओसी का कार्य :

- गैर चिकित्सा मामलों के विशेष संदर्भ में, आपदा के सूचना एवं प्रबंधन का नोडल बिंदु होना चाहिए।
- 24×7 कार्यशील होना चाहिए
- सूचना का प्रवाह :
  - जिलों एवं उससे निचले स्तर के साथ निरंतर संचार होना चाहिए।
  - सभी हितधारकों को समय पर सूचना प्राप्त, विश्लेषण, मिलान और प्रसार होना चाहिए।
  - सूचना को क्षैतिज रूप से और साथ–साथ लंबवत रूप से प्रवाहित करने की आवश्यकता है।
  - निर्दिष्टि आवृति और प्रारूप के अनुसार एनडीएमए को स्थिति रिपोर्ट भेजें।
- संचार का समर्पित साधन : एसईओसी के साथ उनका आपना समर्पित ई–मेल आईडी होनी चाहिए।
- डीडीएमए का संपर्क विवरण : स्थानीय आपातस्थितियों के मामले में सहायता प्रदान करने के लिए राज्य/एसईओसी को तत्काल, प्रत्येक डीडीएमए के नोडल अधिकारी का ब्यौरा गृह मंत्रालय और एनडीएमए के साथ साझा करना चाहिए।

(ख) इंटर एजेंसी समन्वय : एसडीएमए, एसईओसी द्वारा प्रदान सूचना का उपयोग करके कोविड–19 के लिए आपदा मोचन के गैर–चिकित्सा पहलुओं पर इंटर एजेंसी समन्वय के लिए नोडल एजेंसी होनी चाहिए।

(ग) समुदाय जागरूकता : सामाजिक दूरी आदेश क्रियान्वयन करते समय, समुदाय जागरूकता सुधार करने के लिए और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सरकारी आदेश और स्कीमों के ब्यौरों के जागरूकता को, विशषकर सामाज के पिछड़े वर्गों तक सक्रिय रूप से पहुंचाने की आवश्यकता है, साथ–साथ फसे हुए प्रवासी श्रमिकों और पर्यटकों को।

(घ) सक्रिय योजनान्वयन : एसडीएमए/राहत आयुक्तों को उभरती हुई नाजुक स्थिति के पूर्वानुमान और सक्रिय उपायों को शुरू करने की आवश्यकता है। उनको तैयारी योजनाओं शुरू की गई कार्रवाई और परिकल्पना, मोचन में अंतराल, केंद्रीय एजेंसियों से सहायता की आवश्यकता आदि को साझा करना चाहिए क्योंकि वे लोग उसमें शामिल हैं।

(ङ) गैर–सरकारी संगठनों के साथ समन्वय : नागरिक सोसाइटी और कई एनजीओ सहायता के लिए आगे जाए। सहक्रियता प्राप्त करने में उनके प्रयत्न और समन्वित और इष्टतम प्रयोग के लिए प्रयास को सुविधा देने की आवश्यकता है। इसलिए उनके साथ लगातार संपर्क और समन्वय करने की आवश्यकता है। संबंधित सूचना उनके साथ साझा करना चाहिए।

(च) उद्योग के साथ समन्वय : सहायता करने के लिए उद्योग बड़े पैमाने में सामने आए। उनको क्या और कहां आवश्यकता है, पर दिशानिर्देश और सूचना की कमी है। सीएसआर गतिविधियों और विनिर्माण/नाजुक सामानों की आपूर्ति, जो चुनौतियों को सामना करने में सहयक होंगे, को सुविधायुक्त बनाने में निकट समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है।

(छ) पडोसी राज्यों के साथ समन्वय : गृह मंत्रालय के साथ कई अंतर राज्य मामले समाधान के लिए संदर्भित किया जा रहा है। पडोसी राज्यों के साथ सक्रिय समन्वय, विशेषकर राज्य स्तर पर और संलग्न जिला स्तरीय, इन समस्याओं को शीघ्र निपटाने में मदद करेगा।

(ज) प्रवासी कार्यबल और फसे हुए पर्यटकों से संबंधित मामले : एसईओसी को सभी प्रवासी कार्यबल संबंधित मामलों पर एक एकल बिंदु के रूप में कार्य करना होगा। इन व्यक्तियों को एनडीएमए दिशानिर्देशों के अनुसार अस्थाई आश्रय के लिए, शारीरिक दूरी कम–से–कम दो लोगों के बीच एक मीटर की दूरी बनाए रखने के संशोधन के साथ, ख्याल रखना चाहिए। राहत के न्यून्तम मानदंडों पर एनडीएमए के दिशानिर्देशों को बढ़ावा देना चाहिए।

(झ) मानव संपर्क :

यह सलाह दी जाती है कि पुलिस और प्रशासन को जनता से व्यवहार करते समय मानव संपर्क अपनाना चाहिए, विशेषकर जो लोग लॉक्डाउन के दौरान इधर–उधर भटकते रह गए। निर्धारित प्रतिबंधों का प्रवर्तन हमारे नागरिकों के लिए करुणा और देखभाल के कर्तव्य की भावना के साथ किया जाना चाहिए। यह भी संचार सुनश्चित करने की आवश्यकता है कि कोविड–19 से संपर्क करने को एक कलंक के रूप में लेना नहीं चाहिए।

(ञ) स्वास्थ्य एवं कल्याण – प्रशासन के कार्मिक : यह एक सर्वश्रेष्ठ महत्व का है। उनके कर्तव्यों को निभाते हुए, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड–19 के फैलने से बचने के लिए 'क्या करें' तथा 'क्या न करें' का पालन करना चाहिए। उनका बर्ताव सामान्य जनता के अनुकरण के लिए एक मॉडल होना चाहिए।

यह आशा की जाती है कि इन मामलों से आपका अत्यधिक ध्यान जाएगा। हमें प्रतिक्रिया (फीडबैक) प्राप्त करने में खुशी होगी।

भवदीय,

(जी.वी.वी. शर्मा)